रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 24, 1975/श्रावण 2, 1897

No. 148] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 24, 1975/SRAVANA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th July 1975

SUBJECT.—*Scheme for licensing of Indian cotton textiles for export to France during the licensing year ending 31st December, 1975.*

No. 32-ETC(PN)/75.—Attention is invited to the Public Notice No. 25-ETC(PN)/75, dated the 1st May, 1975, on the above subject.

2. Para 1 therein is amended to read as under :—

"The present scheme relates to export of all varieties of millmade cotton textiles and T-Shirts Knitted of all fibres to France during the licensing period ending 31st December, 1975".

3. In para 4(I) therein, against item ex 60.04 the words "T-Shirts Knitted" are substituted by "T-Shirts Knitted of all fibres"

4 Para 6 therein is substituted by the following para :—

"According to the agreement, imports of cotton textiles and T-Shirts Knitted of all fibres covered under 4(I) above into France will be admitted by the competent French Authorities only on presentation of the Green Certificates issued by The Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay and its upcountry representatives, on the basis of which Authorities would issue import licences"

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1975

विषय.—31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाले लाइसेंस वर्ष के दौरान फ्रांस को भारतीय सूती कपड़ों के निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना ।

सं० 32-ई० टी० सी (पी० एन०)/75.—उपर्युक्त विषय पर, सार्वजनिक सूचना सं० 25-ई टी सी (पी एन)/75 दिनांक 1 मई 1975 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. इस में निहित कंडिका 2 को संशोधित कर इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"वर्तमान योजना 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली लाइसेंस अवधि के दौरान फ्रांस को सभी किस्म के मिल निर्मित सूती कपड़े और सभी किस्म के तन्तु से कढ़ाई की गई टी शर्टस के निर्यात से सम्बन्धित है ।"

3. उस में निहित कंडिका 4 (1) में मद ई एक्स 60.04 के सामने "कढ़ाई की हुई टी-शर्ट" शब्दों को "सभी किस्म के तन्तु से कढ़ाई की हुई टी-शर्ट" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

4. उस में निहित कंडिका 6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"समझौते के अनुसार फ्रांस में उपर्युक्त 4(1) के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़े तथा सभी किस्म के तन्तु से कढ़ाई की गई टी-शर्टस के आयात केवल सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई और इसके अन्तरवर्ती प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए ग्रीन सर्टीफिकेट को प्रस्तुत करने पर फ्रांस का वैध प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किए जायेंगे जिसके आधार पर प्राधिकारी आयात लाइसेंसधारी जारी करेंगे ।"

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975